न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **120/2024** दायर दिनाँक **07.06.2024**

वादी		**प्रतिवादी**
1. पप्पूसिंग जिनकसिंह चव्हाण पुत्र जीनकसिंग चव्हाण जाति रावणा राजपुत निवासी रणसीसर जोधा तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन राज0।	**बनाम्**	1. तहसीलदार छोटीखाटू।

राजस्व–वाद बाबत्

रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

श्री नरेन्द्रसिंह एडवोकेट वादी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **16.07..2025**

राजस्व वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि सरहद रणसीसर जाटान पटवार हल्का केराप में वादी का संयुक्त खातेदारीसूदा खेत खसरा सं0 307 रकबा 2.6000 हैक्टे0 अवस्थित है। उक्त खसरान की खातेदारी में रामचन्द्र पुत्र जिनकाराम वादी का नाम गलत दर्ज है।। वादी का वास्तवीक नाम पप्पूसिंग जिनकसिंग चव्हाण पुत्र जीनकसिंग चव्हाण, निवासी रणसीसर जोधा है। यही नाम वादी के आधार कार्ड, राशन कार्ड व पेन कार्ड में अंकित है। इसलिए रामचन्द्र पुत्र जिनकाराम का नाम हटाया जाकर प्रार्थी पप्पूसिंग जिनकसिंग चव्हाण पुत्र जीनकसिंग चव्हाण का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावें।

वादी की प्रार्थना इस प्रकार हैः–

राजस्व ग्राम रणसीसर जाटान पटवार हल्का केराप में वादी का संयुक्त खातेदारीसूदा खेत खसरा सं0 307 रकबा 2.6000 हैक्टे0 में वादी का रामचन्द्र पुत्र जिनकाराम के स्थान पर पप्पूसिंग जिनकसिंग चव्हाण पुत्र जीनकसिंग चव्हाण खातेदारी में इन्द्राज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाने का आदेश सादर फरमावें। तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती कर पप्पूसिंग जिनकसिंग चव्हाण पुत्र जीनकसिंग चव्हाण के नाम से खातेदारी इन्द्राज किया जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार छोटीखाटू के पत्र क्रमांक/भू.अ./2024/1202 दिनांक 09.12.2024 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में सहखातेदार पूर्णाराम पुत्र जिनकाराम, मूलसिंह पुत्र जिनकाराम, मदनसिंह पुत्र जिनकाराम का साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने [illegible] अधिवक्ता की बहस पर मनन किया।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन [illegible] गया तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया [illegible] पटवार हल्का केराप में वादी का संयुक्त खातेदारीसूदा खेत [illegible] रकबा 2.6000 हैक्टे0 में वादी अपना व अपने पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र जिनकाराम के स्थान पर पप्पूसिंग जिनकसिंग चव्हाण पुत्र जीनकसिंग चव्हाण दुरूस्त करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। तहसीलदार छोटीखाटू की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:06:16 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

रणसीसर जाटान के खसरा संख्या 307 रकबा 2.60 है. किस्म बारानी वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार पूर्णाराम, मदनसिंह, मुलसिंह, रामचन्द्र, मंजु, मोहनी पि. जिनकाराम, चुनकी पत्नी जिनकाराम जातिं दरोगा सा. देह खातेदार दर्ज है। ग्राम रणीसर जाटान पुराने गांव रणसीसर में से टुटकर नया गांव बना है। ग्राम रणसीसर के पुराना खेत खसरा संख्या 682/228 रकबा 16.01 बीघा में खातेदार जिनकाराम पुत्र बोदुराम कि मृत्यु होने पर विरासत के नामा. संख्या 95 दिनांक 23.11.2010 के द्वारा खातेदारी पूर्णासिंग, मदनसिंह, मुलसिंह, रामचन्द्र, मंजु, मोहनी पि. जिनकाराम, चुनकी पत्नी जिनकाराम जाति दरोगा सा.देह खातेदार रिकार्ड दर्ज हुई। विरासत के आधार पर वादी अपना एवं अपने पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन रामचन्द्र पुत्र जिनकाराम होने के कारण वादी के सही अंकन पप्पूसिंग जिनकसिंग चव्हाण पुत्र जीनकसिंग चव्हाण होने के कथन को स्वीकार किया जा सकता है। अतः वाद विवेचन, वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

—:: आदेश ::—

सरहद ग्राम रणसीसर जाटान के खेत खसरा सं. 307 रकबा 2.6000 है. में वादी व वादी के पिता का नाम रामचन्द्र पुत्र जिनकाराम के स्थान पर रामचन्द्र उर्फ पप्पूसिंग जिनकसिंग चव्हाण पुत्र जिनकाराम उर्फ जीनकसिंग चव्हाण दुरूस्ती बाबत वादी का हस्तगत वाद स्वीकार किया जाता है।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **16.07.2025** को सरे इजलास सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 15:06:16 IST
Reason: SelfAttested